भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2435

उत्तर देने की तारीख- 13/03/2025

जनजातीय कल्याण कार्यक्रम

2435. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार योजना बना रही है कि विकास परियोजनाओं के कारण जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों को नुकसान न पहुंचे, जिससे समुदायों को विस्थापित किया जा सके, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां जनजातीय लोग अपनी भूमि और वन अधिकारों पर निर्भर हैं; और

(ख) जनजातीय क्षेत्रों में बढ़ते औद्योगिकीकरण और विकास के बीच विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सामने आने वाली चुनौतियों, विशेषकर वन अधिकार अधिनियम के तहत उनके पर्यावास अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गा दास उइके)

(क) और (ख): भारत के संविधान में विशेष प्रावधान हैं जो अनुसूचित जनजाति समुदाय के हितों की रक्षा करते हैं तथा यह भी सुनिश्चित करते हैं कि विस्थापन के दौरान भी कल्याणकारी कार्यक्रमों को कमजोर न किया जाए और इनका विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, “अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006” (संक्षेप में एफआरए) के विधायी मामलों को प्रशासित करने के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते, अधिनियम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलुओं (पीवीटीजी के लिए आवास अधिकारों के निहित होने सहित) पर समय-समय पर निर्देश और दिशा-निर्देश जारी करता रहा है। इसके अलावा, राज्य जनजातीय कल्याण विभाग और जिला कलेक्टरों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं और ये बैठकें अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः और भावना से पालन करने के महत्व पर जोर देने पर केंद्रित होती हैं।

हाल ही में, भारत सरकार ने 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (डीए जेजीयूए) शुरू किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ एफआरए के प्रभावी कार्यान्वयन और विभिन्न सरकारी योजनाओं (आवास से संबंधित, पीएम किसान सम्मान निधि, पशुपालन विभाग की योजनाएं, कृषि विभाग, मत्स्य पालन विभाग) के लाभों को एफआरए पट्टा धारकों तक पहुंचाने पर केंद्रित है ताकि उनका सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। अभियान के तहत, पंचायती राज मंत्रालय ने वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), पेसा, संवैधानिक प्रावधानों और भूमि अधिग्रहण या विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनों पर केंद्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किए हैं। ये कार्यक्रम एफआरए के तहत समुदाय के सदस्यों और समितियों सहित सभी हितधारकों के लिए हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वैध दावेदारों को उनके वन अधिकारों से वंचित न किया जाए और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के व्यापक कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, मंत्रालय ने राज्यों से संभावित वन क्षेत्रों का मानचित्रण करने और वन अधिकारों के प्रभावी निहितीकरण की निगरानी और आकलन के लिए एक उपकरण के रूप में काम करने के लिए एक एफआरएएटलस बनाने को कहा है। इस पहल का समर्थन करने और रिकॉर्ड एवं दावा प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए मंत्रालय राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

पीवीटीजी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पीएम-जनमन (नवंबर 2023 में) शुरू किया है, जो एक परिवर्तनकारी नीति स्तर की पहल है जिसका उद्देश्य 18 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र में 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। ₹24,104 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा: ₹15,336 करोड़ और राज्य हिस्सा: ₹8,768 करोड़) के बजटीय परिव्यय के साथ, 3 वर्षों के लिए स्वीकृत पीएम-जनमन को पीवीटीजी समुदायों के लिए आवश्यक सेवाओं तक समान पहुँच प्रदान करने, उनके रहने (जीवन) की स्थिति में सुधार करने और उनकी सामाजिक-आर्थिक प्रगति को सुगम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मुख्य उद्देश्यों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच, सड़क संपर्क, बिजली और बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान करना शामिल है।

इसके अलावा, एफआरए की धारा 3(1)(ङ) के तहत आदिम जनजातीय समूहों/पीवीटीजी के लिए आवास और निवास के सामुदायिक स्वामित्व सहित अधिकारों की मान्यता और निहितीकरण का प्रावधान है, जो सुनिश्चित करता है कि पीवीटीजी अपने पारंपरिक आवासों के संरक्षण के हकदार हैं। राज्य सरकारों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित पीवीटीजी के लिए आवास अधिकार निहित किए गए हैं:-

क्र.सं.	**राज्य**	**जिला**	**पीवीटीजी समुदाय का नाम**
1	ओडिशा	देवगढ़	पौडी भुइया
2	ओडिशा	अंगुल	पौडी भुइया
3	ओडिशा	क्योंझर	जुआंग
4	ओडिशा	जाजपुर	जुआंग
5	ओडिशा	मयूरभंज	पहाड़ी खरिया
6	ओडिशा	मयूरभंज	मनकीर्डिया
7	ओडिशा	कंधमाल	लांजिया सौरा
8	ओडिशा	नुआपाड़ा	चुकटियाभुंजिया
9	ओडिशा	गजपति	सौरा
10	छत्तीसगढ़	जीएमपी	बैगा
11	छत्तीसगढ़	धमतरी	कमार
12	मध्य प्रदेश	मंडल	बैगा
13	मध्य प्रदेश	डिंडोरी	बैगा
14	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	भरिया

अनुलग्नक

दिनांक 13.03.2025 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2435 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुसूचित जनजातियों के भूमि अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा तथा भूमि अधिग्रहण तथा आदिवासियों के विस्थापन के मुद्दे का समाधान करने के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

(1) **अनुसूची-V के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान** भूमि अधिग्रहण (अर्जन) आदि के कारण जनजातीय आबादी के विस्थापन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के राज्यपाल को जनजातियों से भूमि के हस्तांतरण को निषेध या प्रतिबन्धित करने तथा ऐसे मामलों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन को विनियमित करने का अधिकार है। संविधान की अनुसूची V के पैरा 5.2 का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्र में किसी जनजातीय व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अचल संपत्ति हस्तांतरित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है।

(2) **पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996** (संक्षेप में पेसा) में यह भी प्रावधान है कि "विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण (अर्जन) करने से पहले तथा अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को पुनः बसाने या पुनर्वासित करने से पहले ग्राम सभा या उचित स्तर की पंचायतों से परामर्श किया जाएगा।"

(3) **अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम** (संक्षेप में एफआरए) 2006 में अधिनियमित किया गया था, जो न केवल जनजातीय आबादी के किसी भी विस्थापन को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि जमीनी स्तर पर वन अधिकारों की मान्यता और निहितीकरण की प्रक्रिया में लोकतांत्रिक संस्थाओं को शामिल करने का भी प्रयास करता है।

क) एफआरए की धारा 4(4) में यह प्रावधान है कि यह अधिकार विरासत में मिलेगा, लेकिन हस्तांतरणीयया अन्तरणीय नहीं होगा और विवाहित व्यक्तियों के मामले में पति-पत्नी दोनोंके नाम पर संयुक्त रूप से पंजीकृत होगा तथा एकल व्यक्ति द्वारा संचालित परिवार के मामले में एकल मुखिया के नाम पर पंजीकृत होगा और प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में, विरासत में मिला अधिकार निकटतम रिश्तेदार को हस्तांतरित हो जाएगा।

ख) एफआरए की धारा 4(5) में कहा गया है कि "जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन निवासियों का कोई सदस्य उसके अधिभोगाधीन वन भूमि से तब तक बेदखदल नहीं किया जाएगा या हटाया नहीं जाएगा जब तक कि मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है"।

(4) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भूमि या संपत्ति को ऐसे व्यक्तियों द्वारा गलत तरीके से बेदखल करने सहितविभिन्न अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किया गया हैजो अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं हैं। इसमें उनके अधिकारों के उपयोग में हस्तक्षेप करना जैसे कि वन अधिकार, भूमि, परिसर, पानी या सिंचाई सुविधाओं पर अधिकार, साथ ही फसलों को नष्ट करना या उपज की चोरी करना भी शामिल है।इस तरह की हरकतों को अत्याचार माना जाता है और अधिनियम के तहत दंडनीय है।

(5) **भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013** (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013)में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान हैं, जिनमें भूमि के बदले भूमि, उच्च प्रतिकर और पुनर्वास पैकेज शामिल हैं और इन्हें धारा 41 और 42 के तहत स्पष्ट किया गया है। आगे के सुरक्षा उपाय और प्रावधान नीचे दिए गए हैं: -

(i) **आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की प्रथम अनुसूची** में भूमि स्वामियों के लिए मुआवजे का प्रावधान है। आरएफसीटीएलएआरआर, 2013 की धारा 3(द) (ii) के अनुसार, **'भूमि स्वामी'**में वह व्यक्ति शामिल है जिसे एफआरए, 2006 (2007 का 2) या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत वन अधिकार प्रदान किए गए हैं।

(ii) **आरएफसीटीएलएआरआर की दूसरी अनुसूची** में पहली अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अतिरिक्त सभी प्रभावित परिवारों (भूमि मालिकों और ऐसे परिवारों जिनकी आजीविका मुख्य रूप से अधिग्रहीत भूमि पर निर्भर है) के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का प्रावधान किया गया है।

(iii) **आरएफसीटीएलएआरआर की तीसरी अनुसूची** पुनर्वास क्षेत्र में उचित रूप से रहने योग्य और नियोजित बस्ती के लिए बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान करती है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों की पहचान करने की प्रक्रिया [धारा 3 की उपधारा (ग)], मुआवजे की राशि का निर्धारण और गणना (धारा 26 से 29), के साथ-साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए तंत्र (अध्याय V और VI) का भी उल्लेख किया गया है।

*****